<table>
<tr>
<td>तारीख हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
शैतान सिंह
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़)
सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353230696984190</td>
<td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>13 / 01 / 25</td>
<td>अपीलार्थी शैतान सिंह निवासी प्लॉट नं. 15, गोपाल वाडी, गढ़ गोविन्द, चौपासनी, जोधपुर नें सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 13.11.2024 को दिनांक 11.09.2024 को ग्राम पंचायत तिबना के राजस्व ग्राम टिम्बडी के खसरा संख्या 57/1, 58/1 व 16 पर अवैध कब्जाधारी जालम सिंह पुत्र रणजीत सिंह द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाने तथा पूर्णतया खाली करवा कर सरकारी सम्पति का बोर्ड लगवाने बाबत लिखे गये पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही की संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.13 14:13:41 IST
Reason: Approved